# जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स देवीलाल जाट, एम.एल. नम्बर 56/2022, क्षेत्रफल 1.4903 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 166440 टी.पी.ए. (रोम), निकट खसरा नम्बर 226/109, सरह बुच्चावास, तहसील–लूनकरनसर, जिला–बीकानेर, **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.5034 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–5,31,040 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में ग्रेवल एवं कंकर के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री दयानन्द रूयल, उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन हँसेरा, गाँव–सरह बुच्चावास, तहसील–लूनकरनसर, जिला–बीकानेर** में दिनांक **26.03.2025** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र.स. | खनन इकाई का नाम | एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर | खनन इकाई का क्षेत्रफल | खनन इकाई की उत्पादन क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्स देवीलाल जाट | 56/2022 | 1.4903 हैक्टेयर | 1,66,440 टी.पी.ए. (रोम) |
| 2 | मैसर्स श्री अजीत सिंह | 33/2019 | 2.5130 हैक्टेयर | 2,64,600 टी.पी.ए (रोम) |
| 3 | मैसर्स जय बालाजी ग्रेवल सप्लायर्स | 13/2014 | 4.5001 हैक्टेयर | 1,00,000 टी.पी.ए (रोम) |

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 22.02.2025 को समाचार पत्र 'इ इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स देवीलाल जाट** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एनवायरोटेक"** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स यूनिवर्सल एनवायरोटेक"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट सरह बुच्चावास, तहसील–लूनकरनसर जिला–बीकानेर में खनिज–ग्रेवल एवं कंकर के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **एम.एल. नम्बर 56/2022,** कुल खनन क्षेत्रफल **1.4903** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **1,66,440 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.5034 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–5,31,040 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री श्रवण कुमार मूण्ड, निवासी हँसेरा द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया है कि पौधारोपण किया जायेगा परन्तु इनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि पौधारोपण कहाँ किया जायेगा। साथ ही श्री श्रवण कुमार ने कहा कि केवल पौधारोपण करना ही नहीं वरन उन पौधो की देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। श्री श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि पौधारोपण से लेकर उनके संरक्षण तक की समस्त जिम्मेदारी खनन पट्टा धारक की होनी चाहिये साथ ही रास्तों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार को इस सम्बन्ध में अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खनन इकाई में 500 पौधे खनन क्षेत्र की सीमा रेखा के पास एवं हॉल रोड़ के पास लगाये जायेगें। इन पौधो के संरक्षण एवं रखरखाव की समस्त जिम्मेदारी खनन पट्टा धारक की रहेगी। साथ ही परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा यह भी बताया गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त रास्तों पर पानी का नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा खनन पट्टा धारक से भी इस सम्बन्ध में अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। श्री चरण सिंह खनन पट्टा धारक द्वारा आश्वासन दिया गया कि खनन क्षेत्र में लगाये जाने वाले पौधो का पूर्ण संरक्षण किया जायेगा एवं रास्तों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर द्वारा खनन पट्टा धारक को पेड़ पौधे लगाने पश्चात उनकी देखभाल करने एवं इस सम्बन्ध में कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.मं., बीकानेर

(दयानन्द रुण्डला)
उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर
बीकानेर

## जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स देवीलाल जाट, एम.एल. नम्बर 56/2022, क्षेत्रफल 1.4903 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 166440 टी.पी.ए. (रोम), निकट खसरा नम्बर 226/109, सरह बुच्चावास, तहसील–लूनकरनसर, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स देवीलाल जाट, एम.एल. नम्बर 56/2022, क्षेत्रफल 1.4903 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,66,440 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री अजीत सिंह, एम. एल. नम्बर 33/2019, क्षेत्रफल 2.5130 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,64,600 टी.पी.ए (रोम); मैसर्स जय बालाजी ग्रेवल सप्लायर्स, एम.एल. नम्बर 13/2014, क्षेत्रफल 4.5001 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,00,000 टी.पी.ए (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.5034 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–5,31,040 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में ग्रेवल एवं कंकर के खनन की परियोजना प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.03.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन हँसेरा, गाँव–सरह बुच्चावास, तहसील–लूनकरनसर, जिला–बीकानेर
दिनांकः–26.03.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

| क्र.स. | नाम | पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रधान, हंसेरा | SDM Revenue Lunkaransar | [signature] |
| 2. | Rajkumar Meena | R.O., RSPCB, Bikaner | [signature] |
| 3. | कानाराम | हंसेरा | कानाराम |
| 4. | जितेन्द्र शर्मा | बीकानेर | जितेन्द्र शर्मा |
| 5. | सुशील जमाणी | LSI पशुपालन विभाग VSC हंसेरा | सुशील |
| 6. | श्रवण कुमार मूण्ड | हंसेरा | [signature] |
| 7. | उदाराम | हंसेरा | उदाराम |
| 8. | गणपतराम | हंसेरा | [signature] |
| 9. | राकेश कुमार | हंसेरा | [signature] |
| 10. | मघाराम मूण्ड | हंसेरा | मघाराम |
| 11. | प्रकाशचन्द्र | डूंगरसेरा | प्रकाश चन्द्र |
| 12. | मघाराम | हंसेरा | मघाराम |
| 13. | नवलकिशोर | हंसेरा | नवलकिशोर |
| 14. | सुरेश | बीकानेर | [signature] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | मांगीलाल मूण्ड | हुरनेरा | Mangilal |
| 16. | [illegible]पाल | हरनेरा | [illegible]पाल |
| 17. | हिराराम | हरनेरा | हिराराम |
| 18. | राकेश कुमार सौरभ | पर्यावरणीय सलाहकार (जयपुर | [illegible] |
| 19. | अरविन्द वैष्णव | पर्यावरणीय सलाहकार जयपुर (अभियन्ता) | [illegible] |
| 20. | देवीलाल जाट | खनन मालिक | Devilal |
| 21. | कालाराम गोदारा | VDO | [illegible] |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| 34. | | | |
| 35. | | | |
| 36. | | | |
| 37. | | | |